



2026:AHC:48968

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी सं. - 7364 वर्ष 2026

श्रीमती संगीता देवी बाथम एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:

(i) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट द्वारा, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम रतनपुर, ब्लॉक कमालगंज, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में स्थित खसरा संख्या 434-जे, रकबा 1.727 हेक्टेयर के तालाब में पट्टा अवधि के दौरान मत्स्य पालन में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट द्वारा, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करें और ग्राम रतनपुर, ब्लॉक कमालगंज, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में स्थित खसरा संख्या 434-जे, रकबा 1.727 हेक्टेयर के तालाब से पट्टा अवधि के दौरान मछलियों को न निकालें।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मत्स्य पालन अधिकार के संबंध में दिनांक 27.11.2018 को दस वर्ष की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था, जो 26.11.2028 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि जनपद प्रशासन के अधिकारियों द्वारा



पूर्णतः अवैध रूप से उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.02.2026 को जिलाधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी समस्त शिकायतों को स्पष्ट करते हुए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यदि उक्त अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आगामी दो सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र तथा उपयुक्त आदेश पारित करेंगे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

10 मार्च, 2026

टी.एस.